रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21122020-223816 CG-DL-E-21122020-223816

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 2020/अग्रहायण 27, 1942

No. 646]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 18, 2020/AGRAHAYANA 27, 1942

### अंतरिक्ष विभाग

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 18 दिसम्बर. 2020

सा.का.नि. 778 (अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा अंतरिक्ष विभाग में प्रधान स्टाफ अधिकारी के समूह 'क' राजपत्रित पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जैसे कि:-

- 1. **लघु शीर्षक और आरंभ -** इन नियमों को अं.वि सचिवालय में प्रधान स्टाफ अधिकारी के लिए अंतरिक्ष विभाग भर्ती नियम, 2020 कहा जाए।
  - आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिनांक से यह प्रभावी होगा।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कॉलम में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- 3. भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता, इत्यदि उक्त पद हेतु भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य संबंधित मामले इस अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे।
- 4. अपात्रता कोई भी ऐसा व्यक्ति,
  - क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है

#### अथवा

- ख) जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, उसने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,
  - किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र होगा:
  - बशर्ते केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह हेतु अन्य पक्ष पर लागू सार्वजनिक कानून के तहत ऐसा विवाह करने की उसे अनुमित है तथा ऐसा करने हेतु अन्य कारण मौजूद हैं, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट प्रदान करती है।
- 5. **छूट देने का अधिकार-** जहाँ केंद्र सरकार की यह राय हो कि यह आवश्यक है अथवा व्यवहारिक है, तो वह लिखित रूप में कारणों को रिकार्ड करते हुए आदेश द्वारा किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।
- 6. व्यावृत्ति- इन नियमों से, इस संबंध में समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसरण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य छूटों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

		., 3,8, .,		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-
				चयन पद है?
1	2	3	4	5
प्रधान स्टाफ अधिकारी	1	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' (राजपत्रित)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (रु.123100-215900)	चयन

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी
6	7	8
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत
9	10
लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा चयन

पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी रचना कैसी है?	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना चाहिए
11	12	13
पदोन्नति: विरष्ठ प्रधान निजी सचिव (स्तर 12), जिन्होंने इस श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की है; यदि ऐसा नहीं है तो, विरष्ठ प्रधान निजी सचिव (स्तर 12) तथा प्रधान निजी सचिव (स्तर 11) की श्रेणी में 10 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा, जिसमें से न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा विरष्ठ प्रधान निजी सचिव (स्तर 12) में होनी चाहिए।	<ol> <li>अपर सचिव अथवा अं.वि./इसरो में समतुल्य श्रेणी — अध्यक्ष</li> <li>संयुक्त सचिव (कार्मिक) अथवा अं.वि./इसरो में समतुल्य श्रेणी — सदस्य</li> <li>कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामित — सदस्य</li> <li>वैज्ञानिक सचिव, इसरो — सदस्य</li> <li>अनिवार्य प्रतिनिधि</li> </ol>	अंतरिक्ष विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श न करने की छूट प्राप्त है

[फा.सं.ए.12012/2/2003-I (खंड.II)] संध्या वेणुगोपाल शर्मा, संयुक्त सचिव

# DEPARTMENT OF SPACE NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2020

G.S.R. 778(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' Gazetted post of Principal Staff Officer in Department of Space, namely:-

1. **Short title and commencement** - These rules may be called the Department of Space Recruitment Rules, 2020 for Principal Staff Officer in DOS Secretariat.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of posts, classification and Levels in the Pay Matrix The number of the said post, classification and Levels in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. **Disqualification** No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living

#### OR

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of the post	Number of Posts	Classification	Levels in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
1	2	3	4	5
Principal Staff Officer	1	General Central Services Group 'A' (Gazetted)	Level 13 (Rs. 123100 - 215900) in the Pay Matrix	Selection

Age Limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits  Whether age and educations prescribed directs will apply in the promotees.	
6	7	8
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
9	10
Not applicable	Selection by promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?	which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
Promotion: Senior Principal Private Secretary [L12] who have rendered not less than 5 years regular service in the grade; failing which by promotion of Senior Principal Private Secretary [L12] with 10 years combined regular service in the grade of Senior Principal Private Secretary [L12] and Principal Private Secretary [L11] out of which minimum 3 years	1. Additional Secretary or equivalent grade in DOS/ISRO — Chairman  2. Joint Secretary (Personnel) or equivalent grade in DOS/ISRO — Member  3. Nominee of Department of Personnel and Training — Member  4. Scientific Secretary, ISRO — Member  5. Mandatory Representatives	exempted from consultation with the Union Public Service
shall be in the grade of Senior Principal Private Secretary [L12].		

[F.No. A.12012/2/2003-I (Vol.II)]

SANDHYA VENUGOPAL SHARMA, Jt. Secy.